राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJBIL/2000/1717
J.P.C./3588/02/2003-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

भाद्र 15, सोमवार, शाके 1926 – सितम्बर 6, 2004
Bhadra 15, Monday, Saka 1926 - September 6, 2004

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 6, 2004

G.S.R.28.- In exercise of the powers conferred by section 12 of the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004 (Act No.- 13 of 2004), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Rajasthan State Road Development Fund Rules, 2004

(2) They shall come in to force with effect from the sixth day of September, 2004

2. **Definition** :-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) 'Act' means the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004.

   (b) 'Section' means a section of the Act.

   (c) State Government' means Government of Rajasthan

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Point of tax-** (1) The first point in the series of sales shall mean the first sale by a registered dealer in the State of such point in the series as may be notified by the State Government.

(2) The last point in the series of sales shall be the sale in such series by a registered dealer to a consumer or to an unregistered dealer or to a registered dealer for purposes other than resale within the State.

(3) The multiple point in the series of sales shall mean the sale in such series in the State by every registered dealer.

(4) Unless otherwise specifically directed by the State Government by a notification, the Cess payable under section 3 of the Act shall be at the first point in the series of successive sales in the State.

[No.:F.8(11)PW/94]
By Order of the Governor,
एच. एस. मीणा,
Dy. Secretary to Govt.

Government Central Press, Jaipur

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJBIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/2003-05 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

भाद्र 15, सोमवार, शाके 1926 – सितम्बर 6, 2004
Bhadra 15, Monday, Saka 1926 - September 6, 2004

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2004

जी.एस.आर.28:– राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि नियम, 2004 है।

(2) ये 6 सितम्बर, 2004 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा**:– (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. **कर का बिन्दु**:– (1) विक्रयों की आवली में प्रथम बिन्दु से राज्य में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय या आवलियों में ऐसा बिन्दु अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) विक्रयों की आवलियों में अंतिम बिन्दु, राज्य के भीतर पुनः विक्रय से भिन्न प्रयोजनों के लिए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा किसी उपभोक्ता को या किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को ऐसी आवलियों में किया गया विक्रय होगा।

(3) विक्रयों की आवलियों में गुणक बिन्दु से प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य में ऐसी आवलियों का विक्रय अभिप्रेत होगा।

(4) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्टतः अन्यथा निदिष्ट नहीं किया जाये, अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय उपकर राज्य में विक्रयों की आवलियों में प्रथम बिन्दु पर होगा।

[संख्या एफ.8(11)पी.डब्ल्यू./94]
राज्यपाल के आदेश से,
एच. एस. मीणा,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।